

## न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 - 12/2016

**प्रार्थी**  
राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, रियाबडी

**बनाम**

**अप्रार्थी**  
सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के कायम मुकाम  
महावीरचंद गोद पुत्र सोहनलाल जाति  
सोजतिया (महाजन) निवासी सदर बाजार,  
थांवला तहसील रियाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति-

- 1- श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
- 2- श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

**आदेश**


दिनांक 15-07-2019

(1) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया है कि मौजा थांवला के खसरा नं. 658, 659, 662, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2202/1, 2202/2, 2202/4, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 675, 650, 661, 660, 678 कुल खसरा-67 कुल रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा भूमि "श्री मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह जमाबंदी संवत 2012 से 2015 के कॉलम सं. 5 में खुदकाशत की भूमि दर्ज रही थी। उसके बाद मूर्ति मंदिर महादेवजी की भूमि में निम्न प्रकार परिवर्तन राजस्व रेकॉर्ड अनुसार दर्ज हुए हैं:-

1(1)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2016 से 2019 के खाता सं. 59 के खसरा नं. 658, 659, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2188, 2192, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1792, 2199, 2200, 2201, 2201/2, 2202/1, 2202/2, 1806, 2198, 688, 1787, 1805, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 1796, 1787/1, 1787/2 कुल खसरा 57 कुल रकबा 373 बीघा 1 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मंदिर महादेवजी मजकुर दर्ज है। कॉलम सं. 5 पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह संवत् 2012 से 2016 खसरा नं. 664, 665, 666, 667, 668 कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 138 के अमल हुआ। पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह संवत 2012 से 2016 खसरा नं. 664, 665, 666, 667, 668 कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 138 के अमल हुआ पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार खसरा नं. 664, 666, 667, 665, कुल खसरा 5 कुल रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा व कॉलम सं. 5 पांचू पुत्र सालग

Page 1 of 8



  
अपर कलक्टर, नागौर

कुम्हार संवत् 2012 से 2016 खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676 कुल खसरा 8 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 137 के अमल पांचू पुत्र सालग कुम्हार खसरा नं. 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 678/1 कुल खसरा 9 कुल रकबा 52 बीघा 19 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में तेजा व सालगा पिता किशना कुम्हार संवत् 2016 उन्यालू खसरा नं. 650, 661, 660 कुल खसरा 3 कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा दर्ज है। जमाबंदी के कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 150 के अमल धूला, पांचू पिता किशना खसरा नं. 650, 659 कुल खसरा 2 कुल रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं. 660, 662 कुल खसरा 2 कुल रकबा 14 बिस्वा व जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालग कु. 51 संवत् 2012 से 2016 पूसा, चुतरा कु. 32.10, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 हरिनाथ चेला प्रयागनाथ 2015, 2016 गोकल दरोगा 17.10, 2014, 2015, 2016 मोती कादर साई 7, 2015, 2016 भागीरथ, बोदू भांबी 13 संवत् 2012, 2013, 2016 कॉलम सं. 16 में पुस्तक सं. 119 के अमल पूसा पुत्र चुतरा खसरा नं. 678/2 रकबा 15 बीघा दर्ज है।

1(2)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2020 से 2023 के खाता सं. 218 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता-41 कुल रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी पीरनाथ चेला नवाबनाथ कौम नाथ निवासी थांवला के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 के खाता सं. 225 के खसरा नं. 664, 666, 667, 668, 678/2, 665, 663 कुल खसरा किता-7 कुल रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि पूसा पुत्र चुतरा कुम्हार साकिन देह कॉलम सं. 5 में दर्ज है व खाता सं. 211 के खसरा नं. 650, 659, 662, 660 कुल खसरा किता 4 कुल रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 पांचू धूला पिता किशना कौम कुम्हार साकिन देह दर्ज है व खाता सं. 213 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 900, 671, 672, 676, 898, 899 कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालगराम कुम्हार साकिन देह व खाता सं. 182 के खसरा नं. 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 28 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में नाथू पुत्र सूजा नायक साकिन देह व खाता सं. 495 के खसरा नं. 1787 रकबा 61 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में ग्राम पंचायत थांवला गैर मुमकिन गोचर व खाता सं. 12 के खसरा नं. 1792 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम 8 में जलोड भूमि (नाडी तालाब) राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

1(3)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2022 से 2025 के खाता सं. 218 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 1812, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2203/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा किता-41 कुल रकबा 554 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी पीरनाथ चेला नवानाथ कौम जोगी साकिन देह के नाम दर्ज है। पीरनाथ के स्थान




*(Signature)*  
अपर कलेक्टर, नैनीताल

पर उक्त भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम नाथ सा. देह थांवला के नाम स्वीकृत हुई। जिला कलक्टर महादेय नागौर के आदेशानुसार खसरा नं. 658 में से 1 बीघा व खसरा नं. 678 में से 24 बीघा कुल रकबा 25 बीघा भूमि राजकीय खाते में गै.मु. सडक के रूप में दर्ज हुई। शेष 529 बीघा 1 बिस्वा भूमि हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम नाथ सा.देह थांवला के नाम रही व खाता सं. 213 के खसरा नं. 669, 670, 673, 674, 675, 678/1, 900, 671, 672, 676, 898, 899 कुल खसरा किता 12 कुल रकबा 57 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पांचू पुत्र सालगराम कुम्हार साकिन देह खातेदार दर्ज है व खाता सं. 494 के खसरा नं. 1787 रकबा 61 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में ग्राम पंचायत थांवला गउचर भूमि दर्ज है व खाता सं. 12 के खसरा नं. 1792 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम 8 में जलोड भूमि (नाडी तालाब) राजस्व रेकर्ड में दर्ज है व खाता सं. 225 के खसरा नं. 664, 666, 667, 668, 678/2, 665, 663 कुल खसरा किता-7 कुल रकबा 43 बीघा 8 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में पूसा पुत्र चतरा कुम्हार साकिन देह में दर्ज है व खाता सं. 211 के खसरा नं. 650, 659, 662, 660 कुल खसरा किता-4 कुल रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 पांचू धूला पिता किशना कौम कुम्हार साकिन देह ब. हि. बराबर दर्ज है व कॉलम सं. 16 में आदेश जिलाधीश नागौर ता. 5003 134 मि. 65 से खसरा नं. 659 रकबा 10 बिस्वा (204) सडक निकाल से लगान 1.05 कमी किया गया दिनांक 23.12.65 खाता सं. 182 के खसरा नं. 1803, 1804, 1805 कुल खसरा किता 3 कुल रकबा 27 बीघा भूमि जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में नाथू पुत्र सूजा कौम नायक साकिन देह दर्ज है।

1(4)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2026 से 2029 के खाता सं. 489 के खसरा नं. 658, 2198, 2199, 2200, 2201, 2201/1, 2201/2, 1788, 1789, 1790, 1791, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1801, 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 678, 1786, 1806, 1811, 2196, 2197, 2197/1, 2202, 2202/3, 2203, 2192, 2202/1 कुल खसरा 46 रकबा 539 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी जमाबंदी के कॉलम सं. 5 में हरिनाथ चेला प्रयागनाथ कौम-नाथ सा.देह के नाम दर्ज है। म्यूटेशन सं. 647 दिनांक 7.7.68 के तहत खसरा नं. 2196 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 2188, 2189 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 2194 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 2195 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं. 2192 रकबा 2 बिस्वा कुल खसरा किता 9 रकबा 19 बीघा की खातेदारी सोहनलाल पुत्र शंकरलाल कौम महाजन के नाम दर्ज हुई। म्यूटेशन सं. 736 दिनांक 28.5.72 के द्वारा खसरा नं. 2197 रकबा 15 बीघा व 678 रकबा 80 बीघा 5 बिस्वा 2202/3 रकबा 5 बीघा का म्यूटेशन सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के नाम स्वीकार हुआ। नामान्तरकरण सं. 737 दिनांक 26.5.72 के अनुसार सोहनदास के खसरा नं. 2197 रकबा 15 बीघा व खसरा नं. 678 रकबा 80 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 2202/3 रकबा 5 बीघा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ व नामान्तरकरण सं. 739 दिनांक 28.5.72 खसरा नं. 1872 में से 25 बीघा भूमि धूला पुत्र किशना के नाम स्वीकृत हुआ व नामान्तरकरण सं. 747 दिनांक 28.05.72 खसरा नं. 678 में से 25 बीघा उदा पुत्र फुसा जाति कुम्हार के नाम स्वीकृत हुआ।

1(5)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2030 से 2033 के खाता सं.



  
अपर कलक्टर, नागौर

567 खसरा नं. 2188, 2189 रकबा 2.50 बीघा 2190 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा 2191 रकबा 11 बिस्वा 2193 रकबा 1.18 बीघा, 2194 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 2195 रकबा 12 बिस्वा 678 मिन रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा, 2197 मिन 1 बीघा, 2196 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 2192 रकबा 4 बिस्वा कुल खसरा 10 रकबा 50 बीघा 5 बिस्वा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है। म्यूटेशन सं. 919 के द्वारा खसरा नं. 678 मे से रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा शंकरलाल पुत्र नारायण व गंगाविशन पुत्र फूसाराम डाकोत तथा खसरा नं. 678/7 मे से रकबा 15.3 बीघा भागचंद पुत्र लालचंद, प्रकाशचंद पुत्र भागचंद कौम ओसवाल के नाम स्वीकृत हुआ।


1(6)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2034 से 2037 के खाता सं. 618 खसरा नं. 2188, 2189 रकबा 2.50 बीघा 2190 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा 2191 रकबा 11 बिस्वा 2193 रकबा 1.18 बीघा, 2194 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 2195 रकबा 12 बिस्वा 2197/4 रकबा 1 बीघा, 2196 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा कुल खसरा 9 रकबा 20 बीघा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 1014 के द्वारा खसरा नं. 2194, 2195 रकबा 16 बिस्वा, 2196 रकबा 7.50 बीघा, 2196/1 रकबा 4 बिस्वा 2197/4 रकबा 1 बीघा कुल रकबा 9.50 बीघा नानूराम पुत्र गोपीराम कौम जाट निवासी थांवला के नाम स्वीकार हुआ।

1(7)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2037 से 2040 के खाता सं. 661, संवत 2042 से 2045 के खाता सं. 665, संवत 2046 के 2049 के खाता सं. 717, संवत 2050 से 2053 के खाता सं. 763 के खसरा नं. 2188, 2189 रकबा 2.50 बीघा 2190 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा 2191 रकबा 11 बिस्वा 2193 रकबा 1.18 बीघा, 2194-95 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 10.50 बीघा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है। म्यूटेशन नं. 1801 के द्वारा खसरा नं. 2188-89 मिन 2000 वर्गमीटर, 2191 रकबा 891 वर्गमीटर, 2190 मिन 2000 वर्गमीटर, 2193 मिन रकबा 2000 वर्गमीटर, 2194-95 मिन रकबा 2000 वर्गमीटर गै.मु. आबादी आवासीय प्रयोजनार्थ किस्म परिवर्तन होना स्वीकृत हुआ।

1(8)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2054 से 2057 के खाता सं. 811 के खसरा नं. 2188, 2189 मिन 1.05 बीघा 2190 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा 2193 मिन रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 18 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा कुल खसरा 5 रकबा 4.19 बीघा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 1882 के द्वारा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन के खसरा नं. 2190/1 रकबा 2000 वर्गमीटर, 2194-95 रकबा 1460 वर्गमीटर, 2193 रकबा 1078 वर्गमीटर, 2188-89/1 रकबा 2000 वर्गमीटर कुल 6538 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ स्वीकृत हुआ व खाता सं. 860 खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.5 बीघा कुल खसरा 5 रकबा 5.11 बीघा गै.मु. आबादी की खातेदारी सोहनलाल पुत्र शंकरलाल कौम महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है।

1(9)कि ग्राम-थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत 2058 से 2061 के खाता सं. 928 के खसरा नं. 2188, 2189 रकबा 1.5 बीघा, 2190 रकबा 1.5 बीघा, 2190/1 रकबा 16



  
अपर कलेक्टर, नोएडा

बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा, 2193 रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 4.19 बीघा सोहनलाल पुत्र शंकरलाल जाति महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है। शुद्धि पत्र सं. 4 दिनांक 11.7.05 के द्वारा खसरा नं. 2190/1 के स्थान पर 3072/2190, 2193 मिन के स्थान 3073/2193 दर्ज किया गया व खाता सं. 929 के खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.05 बीघा, 2190 रकबा 1.05 बीघा, 2191 रकबा 11 बिस्वा, 2193 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 2194 रकबा 1.5 बीघा कुल खसरा 5 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा गै.मु. आबादी सोहनलाल पुत्र शंकरलाल कौम महाजन निवासी थांवला के नाम दर्ज है।

2उपरोक्त राजस्व रेकर्ड के परिवर्तन से मूर्ति मंदिर महादेवजी थांवला की भूमि वर्तमान में रेफरेन्स प्रकरण में दर्ज गैरसायल पक्षकारों के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जबकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिंग होने से उसकी भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण नहीं हो सकता है तथा जो भी ऊपर दर्शाया गया राजस्व रेकर्ड परिवर्तन हुआ है। वह मूर्ति मंदिर महादेव के अधिकारों के विरुद्ध शून्य एवं प्रभावहीन है एवं आरंभ से शून्य है। इसलिये उपरोक्त जमाबंदियों के अन्तरणों को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने योग्य है।

3मंदिर मूर्ति की जमीन का बेचान हस्तान्तरण भी प्रारंभ से ही शून्य (void ab initio) है, जिसे तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त हस्तान्तरण अवैध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।


4मंदिर मूर्ति की जमीन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जावे।

5माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों, देवस्थान विभाग एवं राज्य सरकार के परिपत्रों में स्पष्ट निर्देश है कि यदि मंदिर मूर्ति की खातेदारी की भूमि अन्य व्यक्ति के पक्ष में दर्ज रिकार्ड की गयी है तो वह प्रभाव शून्य है। अतः उक्त भूमि को पुनः मंदिर मूर्ति महादेव के पक्ष में खातेदारी दर्ज की जावे।

उपरोक्त भूमि के उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में मंदिर की भूमि का राजस्व रिकार्ड में हुए गलत परिवर्तन का अवैध करार दिलाया जाकर निरस्त करवाया जाकर ग्राम थांवला के जमाबंदी खाता सं. 928 संवत 2058 से 2061 के खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.5 बीघा, 2190 रकबा 1.5 बीघा, 2190/1 नया नंबर 3072/2190 रकबा 16 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा, 2193 नया नंबर 3073/2193 रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 4.19 बीघा व खाता सं. 929 खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2190 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2191 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 2193 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2194 रकबा 1.05 बीघा कुल 5.11 बीघा गै.मु. आबादी भूमि पुनः मूर्ति मंदिर महादेव थांवला के नाम दर्ज करवाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी तहसीलदार ने अपने रेफरेन्स प्रकरण के साथ जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला की संवत



  
अपर कलक्टर, नागौर

2012 से 2023, 2026 से 2029, 2030 से 2033, 2034 से 2037, 2042 से 2049, 2050 से 2057 तक की फोटोप्रति, जमाबंदी (खतौनी) ग्राम थांवला संवत् 2058 से 2061 तक की तथा ग्राम थांवला के नामान्तरकरण सं. 646, 647, 736, 739, 747, 754, 919, 1014, 1015, 1801, 1882 तथा 2674 की फोटोप्रति पेश की गई है।

(3) राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि मौजा थांवला के कुल 67 खसरो की 759.02 बीघा भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत् 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जिसमें से वर्तमान में खाता सं. 928 संवत् 2058 से 2061 के खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.5 बीघा, 2190 रकबा 1.5 बीघा, 2190/1 नया नंबर 3072/2190 रकबा 16 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा, 2193 नया नंबर 3073/2193 रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 4.19 बीघा व खाता सं. 929 खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2190 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2191 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 2193 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2194 रकबा 1.05 बीघा कुल 5.11 बीघा अप्रार्थी सोहनलाल के नाम दर्ज है, जो जमाबंदी 2058 से 2061 से सुस्पष्ट है। मूर्ति महादेवजी शाश्वत अव्यस्क है, जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को प्रदान नहीं किये जा सकते। अप्रार्थी का जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक दिये गये खातेदारी अधिकार कानूनन अवैध है तथा मंदिरों के जायज अधिकार पर बेअसर है। ऐसी भूमि पुनः उसी रूप में राजकीय भूमि घोषित करने के लिए प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जावे।

(4) वकील अप्रार्थी ने राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब पेश करते हुए बताया कि यह प्रकरण कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह थांवला बाबत पेश किया गया है, जिसमें उतरदाता के विरुद्ध जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत् 2058 से 2061 के खाता सं. 300 के खसरा नं. 1803, 1804, 1805 कुल खसरा 3 कुल रकबा 27 बीघा जमाबंदी के कॉलम सं. 4 मे नाथूराम पुत्र सुरजाराम कौम नायक साकिन देह खातेदार दर्ज है। नामान्तरकरण सं. 2747 दिनांक 09.01.07 के द्वारा श्रवणराम, नानूराम, लालाराम, शोभाराम पिता नाथूराम, स्याणी, धीरा पुत्रियां नाथूराम, केलादेवी पत्नी नाथूराम कौम नायक साकिन देह दर्ज हुआ, इसके संबंध में उतरदाता का यह जवाब है कि उक्त भूमि उतरदाता के पूर्वजो के नाम संवत् 2016 से ही चलती आ रही है। उतरदाता ने उक्त भूमि पर काफी मात्रा में आर्थिक व शारीरिक श्रम कर उक्त भूमि को उपयोग उपभोग में लेने लायक बनाने के लिये अथक परिश्रम किया है। लगभग 50 से 55 सालों से उतरदाता के पूर्वज व उतरदाता द्वारा काश्त के काबिल बनाने के लिये अत्यधिक श्रम खर्च करने के बाद में काश्त के उपयोग में उतरदाता के द्वारा ली जा रही है। अगर इतने सालों तक लगभग 50-60 सालों तक राजस्व कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही उतरदाता के विरुद्ध नहीं की गई थी, इस कारण अब यह प्रकरण मियाद बाहर भी है। इतना लंबा समय व्यतीत होने के पश्चात उक्त रेफरेन्स प्रस्तुत



Page 6 of 8  
अपर कलक्टर, नागौर

करने का तहसीलदार थांवला को कोई अधिकार नहीं है। इस कारण रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है।

(5)पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला संवत् 2012 से 2015 के अनुसार कुल 67 खसरा जिसके रकबा 759 बीघा 2 बिस्वा जिनमें खसरा नं. 2189, 2190, 2193, 2194, 2195, 2188 व 2192 की भूमि सम्मिलित रहते हुए श्री मंदिर महादेव जी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ रा जातरा नाथ सा. देह दर्ज रही है। जिसमें ग्राम थांवला के जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2026 से 2029 में म्यूटेशन नं. 647 के द्वारा खसरा नं. 2188, 2189, 2190, 2191, 2193, 2194, 2195, 2192, 2196 रकबा 19 बीघा अप्रार्थी सोहनलाल के नाम आये है जो संवत् 2030 से 2033, 2034 से 2037, 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2052 से 2053, 2054 से 2057 में दर्ज होते आये है। जब कि भगवान की मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। जिसके खातेदारी अधिकार किसी अन्य को कानूनी रूप से प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार अप्रार्थी को तथाकथित खातेदार अथवा हस्तान्तरित को किसी भी प्रकार के वैध अधिकार नहीं होने से ग्राम थांवला का ना.क.सं. 647, 736, 739, 747, 754, 1014, 1801, 1882 (आबादी रूपान्तरण से संबंधित) खारिज किया जाकर भूमि पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज की जानी चाहिये।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मौजा थांवला भूमि मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी प्रयागनाथ चेला नयानाथ जातरा नाथ सा.देह के नाम जमाबंदी खेवट खतौनी ग्राम थांवला के संवत् 2012 से 2015 में दर्ज रही है। जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज हुई है। जो उक्त जमाबंदियों से सुस्पष्ट है। मंदिर मूर्ति की जमीन में खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः मंदिर मूर्ति की भूमि में खातेदारी अधिकार दिये गये है। जो विधिक दृष्टि से शून्य व प्रभावहीन है।


(6)उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा थांवला के खाता सं. 928 संवत् 2058 से 2061 के खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.5 बीघा, 2190 रकबा 1.5 बीघा, 2190/1 नया नंबर 3072/2190 रकबा 16 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा, 2193 नया नंबर 3073/2193 रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 4.19 बीघा व खाता सं. 929 खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2190 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2191 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 2193 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2194 रकबा 1.05 बीघा कुल 5.11 बीघा भूमि अप्रार्थी सोहनलाल के नाम दर्ज है, भूमि के संबंध में अप्रार्थी के नाम खातेदारी/नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर उक्त भूमि के संबंध में जमाबंदी (खतौनी) संवत् 2026-29 से आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त करते हुए मौजा थांवला के खाता सं. 928 संवत् 2058 से 2061 के खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.5 बीघा, 2190 रकबा 1.5 बीघा, 2190/1 नया नंबर 3072/2190 रकबा 16 बिस्वा, 2192 रकबा 2 बिस्वा, 2193 नया नंबर 3073/2193 रकबा 13 बिस्वा, 2194-95 रकबा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 4.19 बीघा व खाता सं. 929 खसरा नं. 2188-89 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2190 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2191 रकबा 0.



  
अपर कलेक्टर, नागीर

11 बीघा, खसरा नं. 2193 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नं. 2194 रकबा 1.05 बीघा कुल 5.11 बीघा भूमि अप्रार्थी सोहनलाल के नाम दर्ज भूमि पूर्ववत श्री मंदिर महादेवजी वाके देह के नाम दर्ज करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने हेतु माननीय आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
(7)आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(मनोज कुमार)  
अपर कलेक्टर, नागौर  
अपर कलेक्टर, नागौर